आकाशवाणी केन्द्र शिमला

04.04.2025 / प्रादेशिक समाचार / 9:20 बजे

वक्फ संशोधन विधेयक

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे आज मंजूरी दी। एक सौ 28 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। विधेयक का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिाति में सुधार लाना भी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे।

इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक–2025 का शिमला में लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने संशोधन को वक्त की ज़रूरत बताया है। लोगों का कहना है कि संशोधन होने के बाद वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता आयेगी।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने केरल दौरे के दौरान कल 42वें अखिल भारत श्रीमद भागवत महासत्र में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भागवत पुराण से मानवता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महासत्र भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने गोपिका संगम की सराहना की, जिसमें 16 हजार 8 गोपिकाएं और बच्चें शामिल होते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री कल शिमला वापिस लौटेंगे।

मंत्रिमंडल बैठक

इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की जाएगी। बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इस दौरान बजट घोषणाओं पर मुहर भी लगेगी। इस बीच बैठक में खाली पड़े पदों को भरने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

गठन

प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए निदेशालय का गठन किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने शिमला में भर्ती निदेशालय हिमाचल प्रदेश की स्थापना की अधिसूचना जारी की है। यह निदेशालय एक नोडल विभाग के रूप में और कनिष्ठ कार्यालय सहायक तथा अन्य ग्रुप–सी पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्य करेगा। इस निदेशालय की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि भर्ती निदेशालय, कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और इसका संचालन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, परिसर में किया जाएगा।

नवरात्रि

चैत्र नवरात्र के सातवें दिन आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा–अर्चना की जा रही है। मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है।

अब सुर्खियां समाचार पत्रों से

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवानिवृति आयु 60 साल करने पर रोक–हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को जारी किए नोटिस।

हिमाचल ने केंद्र से मांगे 400 करोड़ शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पांच की जगह 11 केंद्रीय योजनाएं स्पर्श से जोड़ने पर मिलनी है प्रोत्साहन राशि।

दैनिक जागरण की एक खबर है मीणा से तीन घंटे पूछताछ, कल सीएम को रिपोर्ट सौंपेंग ए. सी.एस.।

दैनिक भास्कर की एक सुर्खी है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश।

मौसम पर हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बादल घिरने से पहाड़ों पर राहत, मैदानों में गर्मी।